डॉक्टर विक्रांत परिहार

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य।

सितम्बर 6, 2000

[डॉ. ए.एस. आनंद, मुख्य न्यायाधीश, दोराईस्वामी राजू जन्म

और शिवराजव पाटिल, न्यायाधीशगण]

चिकित्सा पाठ्यक्रम-जम्मू और कश्मीर राज्य-स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 1995-96 में संचालित की गई-कोई अन्य प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई-चयन सूची जारी किए जाने के बाद, ऐसे असफल उम्मीदवार, जिन्होंने अंतिम बार 1995 की परीक्षा में भाग लिया था, साल-दर-साल विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयनित होते रहे-परिणामस्वरूप एमबीबीएस उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार 1996 के बाद की परीक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रतिस्पर्धा करने और आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था-आवेदक द्वारा जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका, जिसमें एसआरओ संख्या 158 दिनांक 12 जुलाई, 1995 को लागू करने की मांग की गई थी। प्रत्येक वर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए और प्रतीक्षा सूची का जीवनकाल भी नियमित प्रवेश की तारीख से एक माह निर्धारित किया गया है-अपीलकर्ता के अलावा अन्य उम्मीदवारों ने भी एक रिट याचिका दायर की-दोनों रिट याचिकाओं में किए गए आदेशों के परिणामस्वरूप, प्रतीक्षा सूची में 1995-96 के उम्मीदवारों में से प्रवेश के लिए चयन पर रोक लगा दी गई-परिणामस्वरूप राज्य पद में सीटों को भरने के लिए प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा आयोजित करना आवश्यक था-1999-2000 के लिए स्नातक पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र - दोनों रिट याचिकाओं में

पारित आदेश अधिपत्र अपील में चुनौती दी गई-खंडपीठ ने दो अंतरिम निर्देश दिए (I) पीजी डिग्री/डिप्लोमा में रिक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया अन्यथा निर्देशित होने तक पाठ्यक्रमों को रोक दिया जाए (2) प्रत्यक्ष और आरक्षित श्रेणियों के खिलाफ पहले से ही प्रवेश पाने वालों की तुलना में अधिक एफ योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, यदि उनकी योग्यता उन लोगों की तुलना में अधिक है जो पहले से ही उन संबंधित विषयों में प्रवेश कर चुके हैं जिनके लिए याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया है।- -इस न्यायालय के समक्ष लगाए गए इन दोनों निर्देशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है - जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में लंबित सभी रिट याचिकाओं और अपीलों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और ऐसे सभी मामलों की सुनवाई अगले तीन महीनों के भीतर की जाएगी - सक्षम प्राधिकारी एसआरओ नंबर 158 के अनुसार उनकी योग्यता के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चिकित्सकों के चयन के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। सभी पात्र अभ्यर्थी चाहे पूर्व चयन सूची हो या न हो, वे उक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के हकदार होंगे - सीटों के आरक्षण से संबंधित नियम, कानून में अनुमत और लागू सीमा तक, चयन और प्रवेश के समय अधिकारियों द्वारा सम्मान किया जाएगा - इन निर्देशों को उम्मीदवारों को पहले से ही दिए गए प्रवेश को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाएगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4935/2000

एल.पी.ए. (एसडब्ल्यू) संख्या 34/2000 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के दिनांक 17.2.2000 के निर्णय और आदेश से।

एम.एल. वेन्ना, डी.डी. ठाकुर, गोपाल सुब्रमण्यम, जी.एल. सांघी, एन. गणपति, रोहित कपूर,संजीव पुरी, एम.ए. गोनी महाधिवक्ता (जम्मू और कश्मीर), जे.ए. कावूसा, जी.एम. कावूसा, अशोक माथुर, ई. सी. अग्रवाला, ऋषि अग्रवाल, महेश अग्रवाला, विवेक यादव, एनएन भट्ट, सुश्री पुमिमा भट काक, अश्वनी कुमार, सुमित लाल, ए.वी. पल्ली, सुश्री रेखा पल्ली, अतुल शर्मा, राजीव तलवार, एल. नागेश्वर राव, रमेश बाबू एम.आर., सुश्री शबनम लोन और एम.एन. श्रॉफ उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

अनुमति दी गई।

अभियोग और हस्तक्षेप आवेदनों की अनुमति है।

यह मामला काफी परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। जम्मू और कश्मीर राज्य में विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 31 दिसंबर, 1995 और पहली जनवरी, 1996 को आयोजित की गई थी। पक्षों का यह स्वीकृत मामला है कि उस परीक्षा के बाद आज तक कोई अन्य प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई है । चयन सूची जारी होने के बाद, ऐसे असफल अभ्यर्थी, जिन्होंने आखिरी बार 1995 में अंतिम स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, साल दर साल विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयनित होते रहे। । परिणामस्वरूप, 1996 के बाद एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रतिस्पर्धा करने और आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला है। जम्मू-कश्मीर राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री एम.ए. गोनी के अनुसार, यह स्थिति मुख्यतः उन अभ्यर्थियों के अनुरोध पर उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा जारी किए गए अंतरिम या अंतिम आदेशों के कारण उत्पन्न हुई है, जिन्होंने 1995-96 की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था।

अपीलकर्ता ने जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय, जम्मू में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें एसआरओ संख्या 158 के प्रवर्तन/सख्त अनुपालन की मांग की गई। दिनांक 12 जुलाई, 1995, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए जारी किया गया था। एसआरओ 158 अन्य बातों के साथ-साथ हर साल एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान करता है और प्रतीक्षा सूची का जीवन नियमित प्रवेश की तारीख से एक महीने तक निर्धारित करता है। अपीलकर्ता का मामला है कि 1995-96 के बाद से वार्षिक प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई है और 1997 से आज तक प्रतीक्षा सूची संचालित की गई है, जिससे 1996 और 2000 के बीच एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है। अपीलकर्ता के अलावा कुछ अन्य उम्मीदवारों ने भी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के श्रीनगर विंग में इसी तरह के आरोप लगाते हुए और लगभग समान राहत की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की।

3 नवंबर, 1999 को उच्च न्यायालय के श्रीनगर विंग में दायर रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया;

"अनुलग्नक के एवं के- के माध्यम से अधिसूचित उम्मीदवारों का प्रवेश रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा। वर्ष 1995 में आयोजित परीक्षा के आधार पर आगे के चयन पर पीठ के समक्ष अगली तारीख तक रोक लगाई जाएगी।''

उच्च न्यायालय की जम्मू शाखा में, 30 दिसंबर, 1999 को एक अंतरिम आदेश दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया कि राज्य और उसके पदाधिकारी 1999-2000 शैक्षणिक सत्र के स्नातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कोई भी सीट नहीं भरेंगे, *सिवाय उन लोगों के जो आगामी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर आते हैं* । विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा श्रीनगर और जम्मू में दिए गए उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप, प्रतीक्षा सूची में 1995-96 के उम्मीदवारों में से प्रवेश के लिए चयन पर रोक लगा दी गई थी। राज्य को 1999-2000 शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें भरने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता थी। ये दोनों आदेश अधिपत्र अपील के माध्यम से जारी किए गए थे। अपीलें स्वीकार कर ली गईं और अंतरिम निर्देशों के माध्यम से निम्नलिखित आदेश दिया गया:

(1) पीजी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में रिक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

(2) उन उम्मीदवारों की तुलना में अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार जो पहले से ही थे प्रत्यक्ष और आरक्षित श्रेणियों के खिलाफ प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि उनकी योग्यता वाले लोगों की तुलना में अधिक है पहले से ही संबंधित विषयों में प्रवेश दिया गया है जिनके लिए याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया है।

इस अपील में इन दोनों निर्देशों को जारी किया गया है।

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ को विस्तार से सुना है।

चूंकि, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में जम्मू या श्रीनगर में विभिन्न रिट याचिकाएं और अधिपत्र अपीलें लंबित हैं और वे सभी याचिकाएं और अपीलें स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित हैं, इसलिए हम उन मामलों के गुण-दोष पर

कोई राय व्यक्त करने से बचते हैं। हालाँकि, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अंतरिम आदेशों द्वारा, यहां आक्षेपित होने पर, खंडपीठ ने निम्नलिखित के आयोजन को लगभग रोक दिया है। एसआरओ 158 द्वारा अनिवार्य प्रतियोगी वार्षिक प्रवेश परीक्षा और 1996 के बाद के समय के स्नातकों के पूर्वाग्रह को देखते हुए पांच वर्ष पुरानी प्रतीक्षा सूची को नया जीवन प्रदान किया गया है। यह स्वीकार्य स्थिति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरिम और अंतिम चरण में किए गए कुछ परस्पर विरोधी आदेशों के कारण उच्च न्यायालय की विभिन्न न्यायपीठों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और नियमों और घोषित मानदंडों के अनुसार दाखिले में गंभीर अव्यवस्था पैदा की गई है। चिकित्सा स्नातकों के भविष्य के आजीविका को दांव पर लगा दिया गया है और अस्पष्ट बना दिया गया है। इसलिए, हमारे लिए यह निर्देश देना उचित प्रतीत होता है कि जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में दोनों शाखाओं में से किसी एक में लंबित सभी रिट याचिकाओं और अधिपत्र अपीलों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और ऐसे सभी मामलों की सुनवाई और निपटान एकल खंडपीठ या बड़ी पीठ द्वारा किया जाएगा, जिसे जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित और सौंपा जाएगा, जैसा कि वह उचित और उचित समझें। मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, हम जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि ऊपर बताए अनुसार एक विशेष पीठ का गठन किया जाए और मामलों को उस पीठ के समक्ष रखा जाए, ताकि जहां तक संभव हो सके अगले तीन महीनों के भीतर सुनवाई और निपटारा किया जा सके। पक्षकारों के विद्वान वकील ने हमें आश्वासन दिया है कि विशेष रूप से गठित पीठ से पक्षकारों द्वारा कोई अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं की जाएगी और पक्ष उस पीठ के निर्देशों के अनुसार दलीलों को पूरा करने के लिए सभी कदम उठाएंगे और समय-सारिणी का पालन करने के लिए पीठ की सहायता करेंगे।

जहां तक आक्षेपित निर्देशों का संबंध है, प्रथम दृष्टया पहली दिशा एसआरओ नंबर 158 के दायरे में चलती है, जबकि दूसरी दिशा का प्रभाव वस्तुतः अंतरिम चरण में रिट याचिका पर निर्णय लेना है। इन दोनों दिशाओं को इन परिस्थितियों में कायम नहीं रखा जा सकता है। हम, इसलिए, इस अपील को स्वीकार करें और दोनों निर्देशों को अलग रखें। परिणामस्वरूप, हमारे निम्नलिखित निर्देशों द्वारा कवर या सहेजी गई सीमा को छोड़कर, की गई कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई भी अमान्य और निष्क्रिय हो जाएगी। तदनुसार, हम निम्नानुसार निर्देशित करते हैं:

(1) सक्षम प्राधिकारी स्नातकोत्तर डिग्री में प्रवेश के लिए चिकित्सकों के चयन के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा और चिकित्सा में विभिन्न विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अनुसार उनकी योग्यता के आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य में महाविध्यालय की तेजी से जांच की जाएगी:

(2) सभी पात्र उम्मीदवार चाहे पहले की चयन सूची में हों या नहीं, उक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के हकदार होंगे:

(3) सीटों के आरक्षण से संबंधित नियम, कानून में अनुमेय की सीमा तक और लागू हो, चयन और प्रवेश करते समय अधिकारियों द्वारा सम्मान किया जाएगा।

हम स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त निर्देशों को उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों या इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों को पहले से दिए गए प्रवेश को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाएगा और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों (डिग्री और डिप्लोमा) के लिए 1999-2000 शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित रिक्तियों को भरने के लिए आगामी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।

हमारे निर्देश प्रवेश के किसी भी आदेश में बाधा नहीं डालेंगे उस उम्मीदवार को जिसने न्यायिक अंतिमता प्राप्त कर ली है, बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार को भर्ती कराया गया हो और वह स्नातकोत्तर अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम का पीछा कर रहा हो।

अगली प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को दिए गए हमारे पहले निर्देश का ईमानदारी से और समय पर अनुपालन किया जाएगा, न कि किसी भी रिट याचिका या अपील में जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय की किसी भी पीठ द्वारा इसके विपरीत दिए गए किसी भी आदेश या निर्देश के बावजूद। उक्त प्रवेश परीक्षा इस आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी।

महाधिवक्ता हमारे द्वारा ऊपर दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एसआरओ 540 के संचालन के संबंध में स्थगन आदेश में संशोधन/ अवकाश के लिए उपयुक्त पीठ का रुख कर सकते हैं और जब भी ऐसी प्रार्थना की जाती है, पीठ अपने गुण-दोष के आधार पर उचित आदेश पारित करेगी। हम उस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं

हम श्री ठाकुर, विद्वान वरिष्ठ के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं , अगली प्रवेश परीक्षा को हस्तक्षेपकर्ताओं के अलावा अन्य रिक्तियों को भरने के लिए सीमित करने की वकालत करें, क्योंकि वे इस समय मुकदमेबाजी कर रहे हैं। वे अगली प्रवेश

परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र होंगे, यदि अन्यथा ऐसा करने के लिए पात्र हैं। स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अकादमिक उत्कृष्टता और मुकदमेबाजी की दृढ़ता को मानदंड होना चाहिए।

हालांकि, यहां ऊपर कही गई किसी भी बात को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के गुण-दोष पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील का निपटारा किया जाता है। कोई व्यय नहीं।

टी.एन.ए. अपील का निपटारा कर दिया गया।

यह अनुवाद (तलत परवीन) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।